छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन,रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक ....

क्रमांक एफ 1-66/07/16 राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-66/07/16 दिनांक 19.09.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (2)(क)(ख) में निर्धारित अभिदाय दरों में निम्नानुसार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापना के रजिस्टर में 30 जून या 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छः माह में देय अभिदाय की रकम रूपये 1/-(एक मात्र) के स्थान पर 6/- (छः मात्र) होगी, और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छः माह में देय अभिदाय की रकम रूपये 3/- (तीन मात्र) के स्थान पर रूपये 18/- (अठारह मात्र) देय होगी ।

(ख) प्रत्येक छः माह में देय नियोजक का न्यूनतम अभिदाय रूपये 150/- (एक सौ पचास मात्र) के स्थान पर रूपये 500/- (पाँच सौ मात्र) से कम नहीं होगा।

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 01.01.2008 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जब से यह यह अभिदाय वृद्धि प्रभावशील होगी । राज्य के समस्त ऐसे कारखाने एवं स्थापनाएँ जिन पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम, 1982 के समस्त उपबंध प्रभावशील हैं पर यह वृद्धि प्रभावशील होगी ।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30.08.2007 द्वारा दी गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.सरोज)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पृ.क्र. एफ 1-66/2007/16

रायपुर, दिनांक 16-10-07

प्रतिलिपिः-

01. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़,
02. निज सचिव, माननीय श्रम मंत्री जी, छत्तीसगढ़,
03. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर
04. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
06. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, रायपुर
07. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
08. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30.08.2007 के संदर्भ में
09. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

10. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशन की 40 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

15/10/07

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
मंत्रालय, रायपुर